

नाम न्यायालय

- उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर


वादी
लालाराम

बनाम

प्रतिवादीगण
रामलाल व अन्य

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

संख्या / 24

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.07.2024	<p>वादी की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलवी जारी होकर पत्रावली दिनांक 12/08/2024 को पेश हो।</p>	
	<p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बस्सी </p>	
<p>12/8/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उप. प्रतिवादीगण की तलवी हेतु पत्रावली दिनांक 6.9.24 को पेश हो।</p>	
<p>6.9.24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। 2.0 मा. दौरे/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 30.9.24 को पेश हो।</p>	
<p>30/9/24</p>	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. वकील वादी को दिवापत दी गई कि वे प्रतिवादीगण की तलवी हेतु रजि. तलवाना पेश करें। पत्रावली दिनांक 28/10/24 को पेश हो। पत्रावली पर नोटिस जाती कि पत्रावली पुराना है। पत्रावली वास्ते रजि. तलवी हेतु दिनांक 28/10/24 को पेश हो।</p>	<p style="text-align: right;"> 889 <hr/> 6/9/24 </p>

28/10/24

पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौर /
का मे. तय्यत रहने के व ण कार्य
सकी। पत्रावली दिनांक
31/12/24 को पेश हो

31/12/24

पत्रावली पेश हुई। कंकलान द्वारा
कन्डोलेंस / कार्य स्थगित करने
के कारण आही नही की जा
सकी। पत्रावली दिनांक 29/12/24
को पेश हो

29/12/24

पत्रावली पेश हुई। ककुलाय द्वारा
कन्डोलेंस / कार्य स्थगित करने
के कारण आही नही की जा
सकी। पत्रावली दिनांक 10.2.25
को पेश हो

10/02/25

पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौर /
का मे. तय्यत रहने के व ण कार्य
नहीं की। पत्रावली दिनांक
19.3.25 को पेश हो

19/03/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार
अनुपस्थित। प्रकरण में कोई
समाप्ति तक रुक-रुक कर बार-
बार आवाज दिलावाई गई। कोई
छाजिर अदालत नहीं आये हैं।
अतः आधिकार्य उभयपक्षकारान
की अनुपस्थिति में दावा अदम
छाजरी व अदम पैरकी में
स्वार्थिन किया जाता है। पत्रावली
केवल शुमार होकर दाखिल
रहता है।

अध्यापक अधिकारी
बस्ती जिला-जयपुर